

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.मे.)अवकाश / 1160 /2021 दिनांक 19.05.2021

श्रीमती सावित्री आनंद निर्भीक (RJ0523), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), भरतपुर को दिनांक 30.03.2021 से 12.04.2021 तक 14 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 27.03.2021 से 29.03.2021 एवं 13.04.2021 से 14.04.2021 के राजपत्रित अवकाशों एवं 15.04.2021 के स्थानीय अवकाश के उपभोग की अनुमति महित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती निर्भीक. की अनुपस्थिति में विशिष्ट अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट.) प्रकरण. भरतपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), भरतपुर के पद पर ही की गई।


आज्ञा से

19.05.2021
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.वी. 2(4)/91/2002/3202

दिनांक 19.05.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 2432 दिनांक 23.04.2021 के मन्दर्भ में।
3. श्रीमती सावित्री आनंद निर्भीक (RJ0523), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), भरतपुर।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), भरतपुर।
5. विशिष्ट अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट.) प्रकरण, भरतपुर।


सहायक रजिस्ट्रार